



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1942 (श०)

(सं० पटना 473) पटना, सोमवार, 10 अगस्त 2020

वाणिज्य—कर विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2020

एस० ओ० 150, दिनांक 10 अगस्त 2020— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 09, दिनांक 03 जनवरी, 2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 20, दिनांक 03 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् –

उक्त अधिसूचना में,-

(i) तीसरे परंतुक में तालिका के स्थान पर निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—
“तालिका

क्र०सं०	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	कर अवधि	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल 2020	यदि प्रस्तुप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
2	करदाता जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हैं, जिनका मूल	फरवरी, 2020	यदि प्रस्तुप जीएसटीआर - 3ख में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है

क्र.सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	कर अवधि	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)
2	कारोबार का स्थान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य में, या संघ शासित प्रदेश दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप एवं लक्ष्मद्वीप है	मार्च, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर - 3ख में विवरणी 3 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर - 3ख में विवरणी 6 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		मई, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर - 3ख में विवरणी 12 सितंबर, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		जून, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर - 3ख में विवरणी 23 सितंबर, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		जुलाई, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर - 3ख में विवरणी 27 सितंबर, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
3	करदाता जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रूपये तक है, जिनका मूल कारोबार का स्थान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखण्ड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड या उड़ीसा राज्य में, या संघ शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या दिल्ली में है	फरवरी, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर - 3ख में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		मार्च, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर - 3ख में विवरणी 5 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर - 3ख में विवरणी 9 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		मई, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर - 3ख में विवरणी 15 सितंबर, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		जून, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर - 3ख में विवरणी 25 सितंबर, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		जुलाई, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर - 3ख में विवरणी 29 सितंबर, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है

(ii) तीसरे परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुको को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“ परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत किसी कर अवधि में देय विलंब शुल्क को रूपये दो सौ पचास से अधिक अधित्यजन करते हैं जिन्होने नियत तारीख तक माह जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 तक के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में

विवरणी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जुलाई, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते हैं:

परंतु यह भी कि यदि उक्त विवरणी में संदेय राज्य कर की राशि शून्य है तो उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत देय विलंब फीस को उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यजन किया जाता है जिन्होंने नियत तारीख तक माह जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 तक के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जुलाई, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते हैं।”।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध21/2017-(खंड-10)1353)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

10 अगस्त 2020

एस० ओ० 150, दिनांक 10 अगस्त 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर / जीएसटी / विविध-21 / 2017(खंड-10) 1353)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

डॉ. प्रतिमा

राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव ।

The 10th August 2020

S.O. 150, Date 10th August 2020— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 09, dated the 03rd January, 2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 20, dated the 03rd January, 2019, namely:—

In the said notification,-

(i) in the third proviso, for the Table, the following Table shall be substituted, namely: –

“Table

S. No. (1)	Class of registered persons (2)	Tax period (3)	Condition (4)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	February, 2020, March, 2020 and April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 24 th day of June, 2020
2.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year, whose principal place of business is in the States of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana or Andhra Pradesh or the Union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli,	February, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 30 th day of June, 2020
		March, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 3 rd day of July, 2020
		April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 6 th day

S. No. (1)	Class of registered persons (2)	Tax period (3)	Condition (4)
	Puducherry, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep		of July, 2020
		May, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 12 th day of September, 2020
		June, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 23 rd day of September, 2020
		July, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 27 th day of September, 2020
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year, whose principal place of business is in the States of Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, West Bengal, Jharkhand or Odisha or the Union territories of Jammu and Kashmir, Ladakh, Chandigarh and Delhi	February, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 30 th day of June, 2020
		March, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 5 th day of July, 2020
		April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 9 th day of July, 2020
		May, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 15 th day of September, 2020
		June, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 25 th day of September, 2020
		July, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 29 th day of September, 2020

(ii) after the third proviso, the following provisos shall be inserted, namely: –

“Provided also that the total amount of late fee payable for a tax period, under section 47 of the said Act shall stand waived which is in excess of an amount of two hundred and fifty rupees for the registered person who failed to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the months of July, 2017 to January, 2020, by the due date but furnishes the said return between the period from 01st day of July, 2020 to 30th day of September, 2020:

Provided also that where the total amount of state tax payable in the said return is nil, the total amount of late fee payable for a tax period, under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered person who failed to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the months of July, 2017 to January, 2020, by the due date but furnishes the said return between the period from 01st day of July, 2020 to 30th day of September, 2020.”.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-10)1353)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 473-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>